GCMS No. F 2023/303

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पेमीदेवी बनाम प्रकाश आदि

किस्म मुकदमा–225 आरटीए

नम्बर 66/.2023
जीसीएमएस संख्या.....2023/303

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25–10–23	अभिभाषक अपीलांट श्री राधाकिसन स्वामी उपस्थित। पत्रावली बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31–10–23 को पेश हो।	
31–10–23	अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सोमलसर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 714/391 रकबा 7.31 हेक्टर भूमि में से 3.2877 हेक्टर भूमि अपीलांट् की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है। अपीलांट् द्वारा उक्त भूमि की खरीद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से उचित प्रतिफल प्रदान करने के उपरान्त क्रय की गई थी। कालान्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ता 4 जोकि पिता पुत्र है, अपीलांट् को पक्षकार स्थापित किये बिना ही एकतरफा तौर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करते हुए अपीलांट् को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि का अपीलांट् सद्भावी क्रेता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् केप क्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश कीआड़ में अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया गया तो उसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सोमलसर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 714/391 की 7.31 हेक्टर भूमि में से 3.2877 हेक्टर भूमि से अपीलांट् को बेदखल नहीं किया जाकर आराजी जैर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को पत्रावली पर सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम सोमलसर तहसील नोखा की अपील ज्ञापन में वर्णित भूमि के बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये है। जिसके विरूद्व अपीलांट	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपील खरीदशुदा भूमि की हद तक अपीलांट् कमो बेदखल नहीं करने व मौका व राजस्व रिकार्ड क यथास्थिति की मांग की गई है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित आते हुए व बहस करते हुए प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निस्तारण करवाये जाने के स्थान पर प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित कराने की चेष्टा की गई है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। अपीलांट् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व प्रस्तुत अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर